आनन्द विवाह अधिनियम, 1909

(1909 का अधिनियम संख्यांक 7)[1]

[22 अक्तूबर, 1909]

सिखों में प्रचलित आनन्द नामक विवाह-कर्म की विधिमान्यता के बारे में शंकाओं का निराकरण करने के अधिनियम

सिखों में प्रचलित आनन्द नामक विवाह-कर्म की विधिमान्यता के बारे में किन्हीं शंकाओं का निराकरण करना समीचीन है ; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 है ; और

(2) इसका विस्तार [2]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. आनन्द विवाह की विधिमान्यता—सभी विवाह, जो आनन्द नामक सिख विवाह-कर्म [3][जिसे सामान्यत: आनन्द कारज के रूप में माना जाता है] के अनुसार सम्यक् रूप से अनुष्ठापित किए जाएं या अनुष्ठापित किए गए हैं, प्रत्येक अपनी-अपनी अनुष्ठापन की तारीख से विधि की दृष्टि में उचित और विधिमान्य होंगे तथा उचित और विधिमान्य समझे जाएंगे ।

3. अधिनियम से कतिपय विवाहों को छूट—इस अधिनियम की कोई भी बात—

(क) सिख धर्म को न मानने वाले व्यक्तियों के बीच किसी विवाह को, या

(ख) किसी ऐसे विवाह को, जो न्यायिक रूप से अकृत और शून्य घोषित किया गया है,

लागू नहीं होगी ।

4. अन्य विवाह-कर्मों के अनुसार अनुष्ठापित विवाहों की व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई भी बात, सिखों में रूढ़ि किसी अन्य विवाह-कर्म के अनुसार सम्यक् रूप से अनुष्ठापित किसी विवाह की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

5. प्रतिषिद्ध कोटियों के भीतर किए गए विवाहों का अविधिमान्यकरण—इस अधिनियम की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के बीच किसी विवाह को विधिमान्य करती है, जो रक्त-संबंध या विवाह-संबंध की किसी ऐसी कोटि में एक दूसरे के नातेदार हैं, जिसे सिखों की रूढ़िजन्य विधि के अनुसार उनके बीच विवाह अवैध हो जाएगा ।

[4][**6. विवाहों का रजिस्ट्रीकरण**—(1) सिखों के बीच रूढ़िजन्य विवाह-कर्म (जिसे सामान्यत: आनन्द कारज़ के रूप में जाना जाता है) के सबूत को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह उपबंध करते हुए नियम बनाएगी कि किसी ऐसे विवाह के [चाहे आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो] पक्षकार अपने विवाह से संबंधित विशिष्टियों को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो उक्त नियमों के अधीन उपबंधित की जाएं, राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा रखे गए विवाह रजिस्टर में प्रविष्ट करा सकेंगे ।

(2) विवाह रजिस्टर, सभी युक्तियुक्त समयों पर, निरीक्षण के लिए खुला होगा और उसमें अंतर्विष्ट कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे और उससे प्रमाणित उद्धरण, आवेदन किए जाने पर, रजिस्ट्रार द्वारा विवाह के पक्षकारों को, ऐसी फीस के संदाय पर, जो नियमों में उपबंधित की जाए, दिए जाएंगे ।

(3) इस धारा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुष्ठापित किसी आनन्द विवाह की विधिमान्यता विवाह रजिस्टर में कोई प्रविष्टि न किए जाने से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

(5) विवाह के ऐसे पक्षकारों से, जिनका विवाह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि (जिसके अंतर्गत राज्य अधिनियम भी है) के अधीन अपना विवाह रजिस्टर कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।]

———

[1] इस अधिनियम का विस्तार, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से), दादरा और नागर हवेली पर किया गया ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 2012 के अधिनियम सं० 29 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2012 के अधिनिमय सं० 29 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

www.LinkingLaws.com